

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

24 SEP 2018

क्रमांक : एफ 28()पराशि/प्रशा.2/मृ.आ.अन.नि./मार्गदर्शन/2017

जयपुर दिनांक:


-परिपत्र-


पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के प्रकरण काफी समय से लंबित है।

पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, के मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ग्रेड पे 2800 तक के पदों पर शिक्षा विभाग द्वारा दी जावेगी।

यह परिपत्र कार्मिक विभाग की आईडी 693/डीओपी/ए-2/18 दिनांक 28.08.2018 एवं वित्त विभाग की आईडी 101801915 दिनांक 03.05.2018 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।


तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।


कृ. जे. लाल
आयुक्त एवं शासन सचिव
पंचायती राज विभाग


नरेश माल
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय पंचायती राज मंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्राशि-स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा- समस्त।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा- समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव